2019/00082

मिसल नं0 07/2019 सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम फून्दी जाट व लक्ष्मण एवं रामनारायण बंजारा निवासी नीमोदा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-11-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970) के नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन खारिज करने हेतु प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि ग्राम छीपडदा के मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 मे खाता सं0 313 मे खसरा नं0 27 रकबा 1.11 है, ख0 नं0 31/1040 रकबा 0.05 है0 भूमि फून्दीलाल जाट व लक्ष्मण व रामनारायण बंजारा नि0 नीमोदा तहसील दीगोद की गैर खातेदारी मे दर्ज है । उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है । अप्रार्थीगणों का गत 25 वर्षो से कोई अता–पता नही है । उक्त खाते मे सम्पूर्ण गैरखातेदारान की जाति व वल्दियत दर्ज नही होने यह यह खाता अपवादित की श्रेणी मे आ गया है । इस कारण इस जमाबन्दी का सेग्रीगेशन नही हो पा रहा है । संबंधित आवंटन पत्रावली तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही है । इस कारण आवंटन दिनांक अंकित करना या आवंटन पत्रावली भिजवाना संभव नही हो पा रहा है । अतः जिस भूमि आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उस भूमि के आवंटन की दिनांक अंकित किया जाना आवश्यक है साथ ही आवंटन की मूल पत्रावली की भी आवश्यकता है । ऐसी स्थिति मे आवंटन निरस्तीकरण के आदेश दिया जाना संभव नही है । अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में भूमि आवंटन की दिनांक व आवंटन निरस्तीकरण का स्पष्ट कारण अंकित करते हुए एवं मूल आवंटन की पत्रावली सहित पुनः नये सिरे से उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार दीगोद को लौटाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	